कार्यालय

आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड उ0प्र0

आयुर्वेद भवन, 32 सरोजनी नायडूमार्ग,लखनऊ ।

संख्या 2557 बोर्ड–आयु0 / यू0फार्मे0उप0 प्रशि0 / 24 लखनऊ दिनांक– 29 –11–2024

नोटिस

आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उत्तर प्रदेश द्वारा सत्र 2024–25 में मान्यता प्राप्त सभी आयुर्वेदिक फार्मेसिस्ट/आयुर्वेदिक उपचारिका/यूनानी फार्मेसिस्ट/यूनानी उपचारिका प्रशिक्षण केन्द्रो के प्रबन्धक/सचिव तथा प्रधानाचार्यो को यह निर्देशित किया गया था कि वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2024–25 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत बोर्ड से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केन्द्रो द्वारा आयुर्वेदिक फार्मेसिस्ट/आयुर्वेदिक उपचारिका/यूनानी फार्मेसिस्ट/यूनानी उपचारिका प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में संस्था द्वारा लिए गये प्रवेशित छात्र/छात्राओं को बोर्ड द्वारा इन्रोलन्टमेंट किये जाने हेतु संस्था द्वारा प्रवेशित छात्र/छात्राओं की सूची एवं प्रवेश फार्म सहित दिनांक 05–10–2024 तक जमा का दिये जाये, किन्तु अधिकतर संस्थाओं द्वारा बोर्ड के उक्त निर्देशों का अद्यावधिक पालन नही किया गया। उक्त कम में पुनः निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 06 दिसम्बर, 2024 तक सत्र 2024–25 में प्रवेशित छात्र/छात्राओं की सूची/फार्म सहित एवं सत्र 2024–25 की सम्बद्धता शुल्क कार्यालय को प्रेषित करे, ताकि समय रहते समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 को संस्थाओं द्वारा प्रेषित डाटा अग्रसारित/फारवर्ड किया जा सके ।

जिन संस्थाओं द्वारा उक्त निर्धारित समय तक सत्र 2024–25 में प्रवेशित छात्र/छात्राओं सूची फार्म सहित एवं सत्र 2024–25 की सम्बद्धता शुल्क प्रेषित नही की जाती है तो उन संस्थाओं का डाटा समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 को बोर्ड द्वारा अग्रसारित/फारवर्ड नही किया जायेगा जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था का होगा।

(डा0 अखिलेश कुमार वर्मा)
रजिस्ट्रार

संख्या 2557 बोर्ड–आयु0 / यू0फार्मे0उप0 प्रशि0 / 24 लखनऊ दिनांक– 29–11–2024

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

01– बोर्ड से मान्यता प्राप्त समस्त सम्बन्धित प्रशिक्षण केन्द्रो के प्रधानाचार्यो को ई–मेल के माध्यम से ।

02– एस0आर0नेट को बोर्ड की वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

(डा0 अखिलेश कुमार वर्मा)
रजिस्ट्रार